<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

संसद का बजट सत्र, 2018, जो सोमवार, 29 जनवरी, 2018 से आरंभ हुआ था, आज अर्थात शुक्रवार, 6 अप्रैल, 2018 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच, दोनों सदन सोमवार, 5 मार्च, 2018 को पुन: समवेत होने के लिए शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018 को 23 दिन की मध्यावकाश अवधि हेतु भी स्थगित हुए थे ताकि विभागीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर रिपोर्ट की जांच कर सकें।

2. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान लोक सभा की कुल 7 बैठकें और राज्य सभा की 8 बैठकें हुई। सत्र के दूसरे भाग में लोक सभा और राज्य सभा दोनों की 22 बैठकें हुई। पूरे बजट सत्र, 2018 के दौरान, कुल मिलाकर लोक सभा की 29 बैठकें और राज्य सभा की 30 बैठकें हुई।

3. वर्ष का प्रथम सत्र होने के नाते, 29 जनवरी, 2018 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। लोक सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री राकेश सिंह द्वारा प्रस्तावित और श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 10 घंटे के समय की बजाय 10 घंटे 43 मिनट का समय लगा। राज्य सभा में इसे श्री अमित शाह द्वारा प्रस्तावित और डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर राज्य सभा में आबंटित 12 घंटे के समय की बजाय 12 घंटे 45 मिनट का समय लगा। सत्र के पहले भाग के दौरान, दोनों सदनों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई और उसे स्वीकृत किया गया।

4. यह सत्र बजट सत्र होने के नाते, मुख्य रूप से वित्तीय कार्य के निष्पादन के लिए समर्पित था। सत्र के पहले भाग के दौरान, वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट गुरूवार, 1 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की गई। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 12 घंटे के समय की बजाय 12 घंटे 13 मिनट का समय और राज्य सभा में आबंटित 12 घंटे के समय की बजाय 9 घंटे 35 मिनट का समय लगा।

5. सत्र के दूसरे भाग के दौरान सभी विभागीय स्थाई समितियों ने उनकी अनुदान मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की। मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को सदन के मत के लिए प्रस्तुत किया गया और लोक सभा द्वारा **बुधवार, 14 मार्च, 2018** को उन पर पूर्ण मतदान किया गया। संबंधित विनियोग विधेयक को भी पुरस्थापित, विचार और पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2018 को लोक सभा द्वारा दिनांक 14.3.2018 को पारित किया गया। वर्ष 2017-18 के लिए चौथी अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक को भी उसी दिन पुरस्थापित, विचार और पारित किया गया। चूंकि विनियोग विधेयकों और वित्त विधेयक को राज्य सभा में इनकी प्राप्ति के 14 दिन के भीतर राज्य सभा द्वारा नहीं लौटाया गया था अत: इन्हें 28.3.2018 की समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया गया था। इस प्रकार 29.3.2018 को विनियोग और वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात समस्त वित्तीय कार्य को 31 मार्च, 2018 से पहले पूरा कर लिया गया था।

6. इस सत्र के दौरान कुल 05 विधेयक (05 लोक सभा में) पुरस्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 05 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 01 विधेयक पारित किया गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की संख्या 04 है। लोक सभा में पुरस्थापित विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक (विधेयकों), दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए/पारित मान लिए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

7. सत्र के पहले भाग के दौरान, लोक सभा की उत्पादिता 134% और राज्य सभा की 96% थी। बजट सत्र, 2018 के दूसरे भाग के दौरान, लोक सभा की उत्पादिता 04% और राज्य सभा की 08% रही। संपूर्ण बजट सत्र, 2018 के दौरान लोक सभा की उत्पादिता 23% और राज्य सभा की 28% रही।

*****

अनुबंध

16वीं लोक सभा के 14वें सत्र और राज्य सभा के 245वें सत्र (बजट सत्र, 2018) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2018
2. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018
3. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018
4. चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018
5. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

II. लोक सभा द्वारा पारित विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2018
2. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018
3. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018
4. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2018
5. विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2018

III. राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

1. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2018

IV. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए/पारित मान लिए गए विधेयक

1. #वित्त विधेयक, 2018
2. #विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018
3. #विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018
4. उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2018

#राज्य सभा में लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 29.3.2018 को संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों से पारित माना गया।